

पत्रांक: /मु०अभि०(ता०परि०)/उ०अनु०/पनकी

दिनांक: जनवरी, 2018

कार्यालय ज्ञाप

पनकी ताप विद्युत गृह इकाई सं०-3 एवं-4 लगभग 40 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुकी है। इन इकाईयों के काफी पुरानी होने, कम क्षमता एवं पुरानी तकनीक पर आधारित होने तथा उत्पादन लागत अधिक होने के कारण इनका परिचालन वाणिज्यिक रूप से लाभप्रद नहीं है। पनकी ताप विद्युत गृह की इकाईयों को उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा त्योहारों के दौरान मात्र 3-4 दिनों के लिये परिचालित किये जाने की अनुमति दी जा रही है जबकि इकाईयों को लाइट-अप करने में काफी अधिक तेल व्यय हो जाता है। साथ ही इन इकाईयों के अल्प अवधि एवं आंशिक भार पर चलने के कारण विशिष्ट तेल खपत, विशिष्ट कोल खपत एवं आक्जीलरी खपत तथा विद्युत उत्पादन लागत भी काफी अधिक आती है, जिसके कारण उ०नि०लि० को वाणिज्यिक रूप से हानि होती है।

निदेशक मण्डल, उ०प्र०राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि० द्वारा दिनांक 19.04.2017 को परिचालन माध्यम से पनकी ताप विद्युत गृह की इकाई संख्या-3 को 01 अप्रैल 2018 से तदोपरान्त दूसरी इकाई सं०-4 को 6 माह में अधिष्ठापित क्षमता से हटाने हेतु दिये गये अनुमोदन के क्रम में, उपरोक्त वर्णित तथ्यों को संज्ञान में रखते हुए निदेशक मण्डल की 173वीं बैठक में पनकी ताप विद्युत गृह की दोनों इकाईयों को तत्काल प्रभाव से अन्तिम रूप से बंद किये जाने एवं पनकी ताप विद्युत गृह में कार्यरत मानव शक्ति को स्थानान्तरित करने तथा ओ०एण्डएम० हेतु निर्गत विभिन्न कार्यादेशों एवं सामग्री हेतु किये गये क्रयादेशों को निरस्त किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया।

निदेशक मण्डल की आज्ञा से

दिनांक: 06, जनवरी, 2018

पत्रांक: /मु०अभि०(ता०परि०)/उ०अनु०/पनकी

निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव (ऊर्जा), उ०प्र० शासन, बापू भवन, लखनऊ।
2. निजी सचिव, अध्यक्ष उ०प्र० पावर कारपोरेशन, लि० शक्ति भवन, लखनऊ।
3. निजी सचिव, अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र०रा०वि०उ०नि०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
4. निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन, लि० शक्ति भवन, लखनऊ।
5. निदेशक (तकनीकी/परि० एवं वाणिज्य/वित्त/कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन), उ०प्र० राज्य विद्युत निगम लि०, 8वाँ तल, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
6. निदेशक, एस्ओएलडीसी, उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि०, गोमती नगर, लखनऊ।
7. मुख्य अभियन्ता (पी०पी०एम०एम०/मा०सं०/ईंधन/आर० एण्ड एम०/वाणिज्य/प्रगति/पर्यावरण एवं सुरक्षा/जानपद-नव परियोजना), उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
8. मुख्य महाप्रबन्धक (वित्त), उ०प्र० राज्य विद्युत निगम लि०, 8वाँ तल, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
9. मुख्य अभियन्ता, पनकी ताप विद्युत गृह, पनकी-कानपुर।
10. कार्यालय प्रति।

*(Handwritten Signature)*  
6.1.18  
(एस्ओपी०चौबे)

मुख्य अभियन्ता (ता०परि०)